# सक्षम श्रीमान पब्लिक नोटरी, रायपुर (छत्तीसगढ़)
# //शपथ पत्र//
# (अपर कलेक्टर जिला ........................ के समक्ष प्रस्तुत करने बावत्)

**मैं/हम/हमारी संस्था .................उम्र ......................वर्ष पिता श्री ........................... निवासी ..............**
**निम्नलिखित कथन शपथ पूर्वक करता हूं:–**

1. यह कि उपर वर्णित मेरा/हमारा/हमारी संस्था का नाम एवं पता सत्य है।
2. यह कि मेरे/हमारे/हमारी संस्था के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि जो कि मौजा – .................प.ह.नं. ........................रा.नि.मं. ...................... तह. .......................व जिला ..................... स्थित भूमि खसरा क्रमांक ...........................(बी–1 अनुसार) कुल रकबा ..................... एकड़/हेक्टेयर है।
3. यह कि उक्त समस्त भूमि किसी भी बैंक में बंधक नहीं है।
4. यह कि उक्त भूमि किसी भी न्यायालय में राजस्व/सिविल किसी भी प्रकार का कोई प्रकरण विचाराधीन अथवा लंबित तथा किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं है अर्थात् उपरोक्त भूमि सभी कानूनी भारों तथा वाद–विवादों से मुक्त है।
5. यह कि उक्त भूमि किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय, सीलिंग एवं कोटवारी भूमि आदि का भाग नहीं हैं
6. यह कि उक्त भूमि पर मैं/हम/हमारी संस्था ..........................................कार्यालय संयुक्त संचालक /उप संचालक /सहायक संचाल, नगर तथा तथा ग्राम निवेश, से आवासीय प्रयोजन (भूखंडीय विकास/निगमित विकास) हेतु विकास अनुज्ञा/भू–व्यपवर्तन/कॉलोनी विकास की अनुमति प्राप्त करना चाहता हूं।
7. यह कि उक्त भूमि पर मै एस.टी.पी. की स्थापना करूंगा।
8. यह कि उक्त भूमि पर मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग (वर्षा जल संचयन) की स्थापना करूंगा।
9. यह कि बहुमंजिला भवन होने की स्थिति में प्रत्येक तल पर अग्निशमन प्रणाली की स्थापना करने के साथ–साथ पुलिस विभाग/सक्षम अधिकारी से अग्निशमन प्रणाली के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करूंगा।
10. यह कि 2 हेक्टेयर से अधिक विकसित की जाने वाली कालोनी, सड़क एवं खुले क्षेत्र हेतु कुल प्रकाश व्यवस्था का 25 प्रतिशत सौरपथ, प्रकाश संयंत्र के द्वारा करूंगा तथा सौर उर्जा सहायक वॉटर हीटिंग सिस्टम का संस्थापन करूंगा।
11. यह कि गंदा जल पुर्नचक्रीकरण एवं पुनः उपयोग की व्यपस्था करूंगा।
12. यह कि अपशिष्ट के पृथककरण की व्यवस्था एवं निपटान हेतु अपशिष्ट वेंन की व्यवस्था करूंगा।
13. यह कि Builtup Area (निर्मित क्षेत्र) 20000 वर्गमीटर अथवा इससे अधिक एवं 15000 वर्गमीटर से कम होने की स्थिति में आवश्यक पर्यावरणनीय स्वीकृति प्राप्त करूंगा तथा टाउनशिप एंड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का क्षेत्रफल यदि 50 हेक्टेयर अथवा उससे अधिक हो एवं/अथवा बिल्टअॅप एरिया (निर्मित क्षेत्र) 15000 वर्गमीटर से अधिक होने पर पर्यावरणनीय स्वीकृति प्राप्त करूंगा तथा जल अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु अधिनियम, 1981 की धारा–21 के तहत् छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल से स्थपना सहमति प्राप्त करूंगा।
14. यह कि प्रत्येक भूखंड के क्षेत्रफल के लिए 100 वर्गमीटर के क्षेत्र में 1 वृक्ष के हिसाब से वृक्षारोपण करूंगा।
15. यह कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्लू.एस.) 15 प्रतिशत हेतु 1 एकड़ से कम भूमि होने की स्थिति में गरीबों की सेवानिधि में शुल्क जमा कराउंगा तथा 1 एकड़ से अधिक होने की स्थिति में अभिन्यासी क्षेत्र में 15 प्रतिशत भूमि अथवा अभिन्यासीय क्षेत्र के बाहर 1/3 किमी की परिधी में समतुल्य मूल्य की भूमि उपलब्ध कराउंगा।

16. यह कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भूखंडो/भवनों का विकास/निर्माण प्रथमतः करूंगा।
17. यह कि कॉलोनी का आंतरिक विकास निर्धारित मानकों के अनुसार निर्धारित अवधि अधिकतम 5 वर्ष के भीतर पूर्ण करूंगा।
18. यह कि छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के तहत् प्राप्त विकास अनुज्ञा की समस्त शर्तों का अक्षरशः पालन करूंगा।
19. यह कि छ0ग0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत भू–व्यपवर्तन की शर्तों का पालन करूंगा।
20. यह कि पेय जल/जलप्रदाय की व्यवस्था स्वयं के बोर से अथवा नगर निगम पेयजल वाहिनी के संयोजन से कराये जाने की व्यवस्था करूंगा।
21. यह कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय हेतु भूमिगत विद्युत केबल की स्थापना भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा प्रकाशित संहिता के प्रावधानों के अनुसार करूंगा।
22. यह कि 1000 वर्गमीटर एवं उससे अधिक के क्षेत्रफल के भूखंड के भवन निर्माण/पुर्ननिर्माण /भवन को गिराने के दौरान धूल–अपरोधक (ग्रीन नेट) लगाये जाने की व्यवस्था करूंगा।
23. यह कि आंतरिक विकास कार्य के लिए बंधक रखे गये भूखंडों का सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना विक्रय एवं अंतरण नहीं करूंगा।
24. यह कि एल.आई.जी. भूखंडों /भवनों का सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना विक्रय एवं अंतरण नहीं करूंगा।
25. यह कि शासन के विभिन्न विभागों द्वारा समय–समय में जारी निर्देशों /अधिनियम/नियम का पालन करूंगा।
26. यह कि मुरूम सड़क से स्वीकृत अभिन्यास के बीच रास्ते में कोई शासकीय भूमि नही आ रही है।
27. यह कि मैं/हम/हमारी संस्था शासन के सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हूँ तथा इसके साथ आवश्यक सभी अभिलेख/दस्तावेज संलग्न किया जा रहा है। अतः आवेदन के समर्थन में मेरा उपरोक्तानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं।

शपथकर्ता

//सत्यापन//

यह कि मैं/हम/हमारी संस्था शपथकर्ता यह सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में दी गई कंडिका 01 ........... से .................... तक की जानकारी एवं तथ्य मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य व सही हैं। आज दिनांक ..............................को मुकाम ....................में शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर सत्यापित किया गया।

शपथकर्ता